न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज०)

राजस्व लोक अदालत–न्याय आपके द्वार 2018

पीठासीन अधिकारीः–राजलक्ष्मी गहलोत आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः– 99 / 2016(2016 / 00087) वाद पत्र

उनवान

1. चुना पिता उदा जाति गुजर निवासी सगरेव तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
2. सरजु बेवा उदा जाति गुजर निवासी सगरेव तहसील रायपुर जिला भीलवाडा

वादीगण

बनाम

1. पारस पिता चम्पा जाति गुजर निवासी सगरेव तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
2. सुखलाल पिता चम्पा गुजर निवासी सगरेव तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
3. भैरूलाल पिता गेना गुजर निवासी सगरेव तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
4. प्रभुलाल पिता गेना गुजर निवासी सगरेव तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
5. मेमा पुत्री गेना गुजर निवासी सगरेव तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
6. जेती बेवा गेना गुजर निवासी सगरेव तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
7. स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा रायपुर जरिऐ शाखा प्रबन्धक
8. बैंक आफ बडोदा शाखा रायपुर जरिऐ शाखा प्रबन्धक
9. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर जिला भीलवाड़ा।

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 53 राज0 टी0 एक्ट

उपस्थित

1–फारूख मोहम्मद– अधिवक्ता वादीगण

निर्णय दिनांक 4.5.2018

पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत केम्प सगरेव में पेश हुई। प्रकरण का सक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि ग्राम सगरेव पटवार हल्का सगरेव तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 6 के संयुक्त खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 2618 रकबा 0.39 हे0 भूमि कुल किता 01 कुल रकबा 0.39 है0 राजस्व खाता सख्या 340 में वादीगण के 1 / 2 हिस्से का बाई मिट्स एण्ड बोण्डस के आधार पर स्वंत्रत राजस्व खाता रेवेन्यु रेकार्ड मे खोले जाने हेतुं प्राथमिक डिकी जारी किये जाने एवं तहसीलदार रायपुर को विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पेश करने का

आदेश दिया गया था जिसकी पालना में दिनांक 04.5.2018 को तहसीलदार रायपुर द्वारा विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। जिसे शामिल पत्रावली किया गया तथा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव का जारी डिकी एवं रेकार्ड आफ राईट्स जमाबन्दी से मिलान किया गया जो सही प्रतीत होने से विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः

आदेश

ग्राम सगरेव पटवार हल्का सगरेव तहसील रायपुर के आराजी नम्बर 2618/1 रकबा 0.1950 लगान 2.41 चुना पिता उदा सरजु बेवा उदा गुजर सा0 देह खातेदार एंव आराजी संख्या 2618 /2 रकबा 0.1950 लगान 2.71 पारस सुखलाल पिता चम्पा, भैरूलाल प्रभुलाल पिता गेना मेमा पुत्री गेना जेती बेवा गेना गुजर सा देह खातेदार के नाम दर्ज रेकार्ड किये जाने का आदेश दिया जाता है। तदनुसार अंतिम डिकी जारी हो। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें।

निर्णय आज दिनांक 04.05.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(राजलक्ष्मी गहलोत)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा